



राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ 30प्र0

(उ0प्र0 शासन के शा0सं0 924/आठ-9-31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)
कमरा नं0 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

अध्यक्ष
अवधेश कुमार सिंह
9454456321

महासचिव
विजय कुमार
9454456462

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार यादव
9454456968

सचिव
सुनील कुमार संगम

उपाध्यक्ष

विक्रम यादव (लखनऊ जोन)
विजय सिंह (वाराणसी जोन)
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

संयुक्त सचिव

विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)
वनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)
कमलेन्द्र कुमार विमल (बरेली जोन)
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

उपसचिव

सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)
नमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)
राजेन्द्र कुमार (बरेली जोन)
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक मे/मे
सेवा मे

दिनांक 24.5.19

मा. मुख्यमन्त्री महोदय
उ.प्र.शासन लखनऊ

विषय: मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद, व उसकी मा.खण्डपीठ लखनऊ में राज्य की तरफ से आपराधिक वादों में पैरवी हेतु अभियोजन संवर्ग के 32 वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों(अपर निदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक अभियोजन, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी) के लगाये जाने सम्बन्धी पत्रावली पर सकारात्मक निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में 1266 राजपत्रित अधिकारियों का अभियोजन संवर्ग व्यावसायिक दक्षता के साथ कार्यरत है। संवर्ग के सभी अभियोजक लोक सेवा आयोग से त्रिस्तरीय परीक्षोपरान्त न्यायिक अधिकारियों की भौति चयनित किये जाते हैं और उनके लम्बे अभियोजन के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये उनकी क्षमता व अभियोजन दक्षता का समुचित लाभ प्रदेश की जनता को प्रदान कराने के लिये शासन स्तर पर मा. प्रमुख सचिव न्याय, मा. प्रमुख सचिव गृह व अन्य की संयुक्त मीटिंग में अभियोजन संवर्ग के 32 अभियोजको (अपर निदेशक अभियोजन संयुक्त निदेशक अभियोजन, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी) को मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में नियुक्त किये जाने के लिये सकारात्मक निर्णय लिया गया था। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली मा. महाधिवक्ता महोदय उ.प्र. के पास भेजी गयी थी और सम्भवतः अभी वहीं लम्बित है।

अतः मा. महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त पत्रावली पर सकारात्मक निर्णय शीघ्रता से लेने हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा की जाय, जिससे उ.प्र. राज्य की तरफ से अभियोजन संवर्ग के अनुभवी अधिकारियों को मा. उच्च न्यायालय में पैरवी करने हेतु अधिकृत किया जा सके और उनके लम्बे दक्ष व कुशल अभियोजन अनुभव का लाभ प्रदेश की जनता को भी प्रदान किया जा सके। मा. महोदय की महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय

24.5.19
(अवधेश कुमार सिंह)

अध्यक्ष